अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 417/2012

कलानन्द सरदार —— अपीलार्थी

वनाम

परमेश्वर सरदार —— रेस्पोण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.09.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 28/12–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः लहरनियों खाताः 04 खेसरा 1240 रकबा 0.3.4 में से 5 धुर प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत जमीन सहित कुल 1 बीघा, 2 कट्ठा 11 धूर जमीन वर्ष 1950 ई0 में अपीलार्थी/वादी के पिता ने निबंधित केवाला संख्या 3395 दिनांक 06.11.1950 के द्वारा ललित सरदार, पे0 भवानी सरदार से क्रय किया है बतलाते हैं। दखल कब्जा एवं केवाला के आधार पर अंचल नामांतरण द्वारा जमाबंदी संख्या 394 बनाम भागवत सरदार कायम होना बतलाते हैं। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पिता ने रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी को वर्षो पूर्व पिता ने अपने जमीन के अंश भाग 5 धूर पर बसा लिया था, परन्तु परमेश्वर सरदार को स्वयं 8 कट्ठा मरौसी जमीन है तथा 90 डी0 बन्दोबस्ती से प्राप्त है। अपीलार्थी/वादी के जमीन से 3 डी0 का गलत खाता देकर रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी गलत बासगीत पर्चा बना लिए हैं ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी अभी भी अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम से कायम है। रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी को प्राप्त बासगीत पर्चा की जमीन अपीलार्थी/वादी से नामांतरण होकर भी खारिज भी नहीं है तो ऐसी

परिस्थिति में प्रश्नगत जमीन पर रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं ।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत जमीन पर भू– स्वामी अपीलार्थी/वादी के पिता स्व0 भागवत सरदार ने ही वर्षो पूर्व बसाया था। वर्ष 2007 में बी0 पी0पी0 एच0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत अंचल बासगीत वाद संख्या 16/2007 के द्वारा प्रश्नगत 3 डी0 जमीन का बासगीत पर्चा प्राप्त हुआ। ***संयोगवश खाता संख्या 04 के स्थान पर 78 अंकित हो गया है,*** **परन्तु खेसरा 1240 अंकित है जो वास्तविक रूप से जिस पर घर बना है, वही खेसरा बतलाते हैं।** बासगीत पर्चा के आधार पर जमाबंदी संख्या 106 बनाम परमेश्वर सरदार कायम होना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी बी0 पी0 एल0 एवं महादलित परिवार से आते हैं। उन्हें इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत घर बनाने हेतु राशि प्राप्त हैं, परन्तु अपीलार्थी/वादी अपनी दबंगता के बल पर उन्हें घर नहीं बनाने देते है। आगे यह भी कथन करते हैं कि इस संबंध में सरपंच का किया गया फैसला गलत है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि *" द्वितीय पक्ष को प्रथम के पिता ने अपनी जमीन पर वर्षो पूर्व बसा लिया, परन्तु बासगीत पर्चा निर्गत करते समय खेसरा संख्या 1240 एवं जमीन की चौहद्दी सही अंकित हुआ है, लेकिन खाता संख्या 04 के सथान पर 78 अंकित हो गया है। पर्चा पर खाता गलत अंकित हो जाने से प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति द्वारा भू– स्वामी को बेदखल कर देना नहीं माना जा सकता है।"*

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा